कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर।

—: आदेश :—

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–259570 दिनांक–23.01.2016 द्वारा निदेश प्राप्त हुआ था कि हड़ताल पर जाने के कारण बर्खास्त किये गये मनरेगा के वैसे पंचायत रोजगार सेवकों जिनके द्वारा सरकारी अभिलेख या सरकारी सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचाया गया हो एवं जिनका कार्यकलाप संतोषप्रद रहा हो, को विधिवत प्रकिया का अनुपालन करते हुए पुनर्नियोजित कर लिया जाए। प्राप्त निदेश के आलोक में जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यकम समन्वयक, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक 490 दिनांक 11.02.2016 द्वारा श्री अजय सिंह को पंचायत रोजगार सेवक के पद पर पुनर्नियोजित करते हुए बोचहां प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज नरमा में पदस्थापित किया गया।

कार्यक्रम पदाधिकारी, बोचहाँ के पत्रांक–45 दिनांक–26.03.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री अजय सिंह, पंचायत रोजगार सेवक दिनांक–28.02.2016 से बिना किसी सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित है एवं उनका मोबाईल भी बंद आ रहा है और इनका आवेदन डाक द्वारा प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात् अभिकरण के ज्ञापांक–1284 दिनांक–21.04.2016 द्वारा आवासीय पता पर निबंधित डाक से एक सप्ताह का समय देते हुए श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। परंतु श्री सिंह द्वारा निर्धारित समय समाप्ति उपरांत भी कोई पत्रोत्तर नहीं किया गया।

कार्यक्रम पदाधिकारी, बोचहाँ ने अपने पत्रांक–66 दिनांक–28.03.16 से प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिंह द्वारा दिनांक–27.04.2016 को पुनः अपना योगदान देते हुए योगदान स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–85428 दिनांक–26.12.2011 द्वारा मनरेगा कर्मियों को कैलेन्डर वर्ष में 12 दिन आकस्मिक अवकाश एवं 24 दिन उपार्जित अवकाश दिये जाने का प्रावधान किया गया है जबकि श्री सिंह 57 दिनों तक कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहे है।

इस प्रकार श्री सिंह, पुर्ननियोजित पंचायत रोजगार सेवक का यह कृत्य संविदा पर हुए नियोजन के शर्तो के प्रतिकूल है, वरीय पदाधिकारियों तथा विभाग के आदेश की अवहेलना है तथा अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा तथा गरीब मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित रखने के समतुल्य है ।

अतः ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 8574 दिनांक–22.09.2009 की कंडिका–02 के आलोक में श्री अजय सिंह, पिता–स्व0 केदार सिंह, ग्राम–बाला विगहा, पो0–रामपुर चाय, थाना–करपी, जिला–अरवल, पिन–804428 जिनका रौल नम्बर–0436149 है, की संविदा/नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से रद्द किया जाता है ।

ह0/-

उप विकास आयुक्त –सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 1390/ अभि0, मुजफ्फरपुर दिनांक– 13/05/2016

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकरी, बोचहां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि : कार्यक्रम पदाधिकरी, मनरेगा, बोचहां को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मुजफ्फरपुर को जिला के बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री अजय सिंह, पिता–स्व0 केदार सिंह, ग्राम–बाला विगहा, पो0–रामपुर चाय, थाना–करपी, जिला–अरवल, पिन–804428 को अनुपालनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : प्रभारी सहायक मनरेगा, पूर्वी/पश्चिमी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/05/16

उप विकास आयुक्त –सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
मनरेगा, मुजफ्फरपुर।